न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या 45/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 26.4.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामनाथ आत्मज दौला जाति गूर्जर निवासी ग्राम हुवालियां तहसील हिण्डोली जिला बूंदी–राज0।
2. खानी पत्नी रामनाथ जाति गूर्जर निवासी ग्राम हुवालिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी–राज0।

...अपीलाट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी।
2 आवंटन सलाहकार समिति जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल अभिभाषक अपीलाट
श्री हरिश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 23.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 309/प्रार्थना पत्र/2012 बउनवान रामनाथ वगेरा बनाम राज0 सरकार आदि प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मे पारित निर्णय दिनांक 20.6.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट का पेश कर निवेदन किया कि ख0 नं0 82 रकबा 13.14 बीघा ग्राम हुवालिया तह0 हिण्डोली मे से 5 बीघा भूमि दिनांक 23.5.92 को आवंटन किया गया था। आवंटन प्रार्थना पत्र मे जाति का कालम नही होने से प्रार्थी ने अपनी जाति दर्ज नही की लेकिन आवंटन के समय पटवारी रिपोर्ट मे प्रार्थी की जाति गूर्जर अंकित नही कर सहवन त्रुटिवश मीणा दर्ज हो गई जो लिपिकीय त्रुटि है अतः दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प कोर्ट मुकाम अटल सेवा केन्द्र पगारा मे दिनांक 20.6.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश मे जाति मीना पटवारी रिपोर्ट द्वारा दर्ज करना तो सहवन त्रुटिवश होना माना है लेकिन विवादित भूमि गै0मु0 बरडा झाड झंखा वाले वन राजस्व रिकार्ड मे होने से अमल होने योग्य चारागाह हेतु होने से इन्द्राल दुरूस्त किया जाना उचित नही है माना है जो सर्वथा अनाधिकृत है। वक्त आवंटन 1992 मे उक्त भूमि आवंटन योग्य भूमि थी और आवंटन अपीलार्थी ने छल कपट से नही करवाया अधिकारियो की गलती का दोष अपीलांट को नही दिया जा सकता। आलोच्य निर्णय केम्प मे नही किया गया न ही केम्प मे लिखवाया गया। निर्णय की सूचना भिजवाने बावत कहा गया। आलौच्य निर्णय की

जानकारी करने पर दिनांक 27.2.18 को ज्ञान होने पर अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे और आवंटन आदेश दिनांक 23.5.1992 मे भूमि ख0 सं0 82 वाकै ग्राम हुवालियां मे इन्द्राज दुरूस्त कर अपीलांट की जाति मीना के स्थान पर गूर्जर दर्ज करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि दिनांक 23.5.92 को ख0 नं0 82 की 5 बीघा भूमि आवंटित की गई उस समय अपीलांट की जाति गूजर के स्थान पर सहवन मीणा दर्ज कर दी गई। इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने झांड झंकार योग्य होने से अमल योग्य नही होना मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। आवंटन के समय रिकार्ड नही देखा गया सं0 2049 मे सिवायचक लगानी दर्ज है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश प्रार्थी को बिना सुने ही पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा इन्द्राज दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस मे बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0 नं0 82 रकबा 13.14 बीघा गे.मु. बर्डा झाड झंखड वाले वन (चरागाह हेतु) रेकार्ड दर्ज है। भूमि गे.मु.बर्डा झाड झंखाड वाले वन होनेसे अमल योग्य नही होने से इन्द्राज दुरूस्त नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर जानकारी की तिथी 27.2.2018 से अपील अवधि मध्य होना वर्णित किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो के प्रतिउत्तर खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये है ऐसी स्थिति मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज, रिकार्ड एवं तहसीलदार हिण्डोली की रिपोर्ट आदि के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त भूमि ख0 सं0 82 रकबा 13.14 बीघा गे.मु. बर्डा झाड झंखाड वाले वन (चरागाह हेतु) रेकार्ड दर्ज है। **प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि धारा 136 एलआरएक्ट मे भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।** चूंकि प्रश्नगत भूमि गै.मु.बर्डा झाड झंखाड वाले वन होने से अमल योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जातीय इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित नही मानते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट जेरअपील निर्णय दिनांक 20.6.2016 से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा